याकुब मोहम्मद बनाम सफु व अन्य
प्र0सं0–: 19/2015(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–07/02/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, अर्चना चौधरी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2015 रे.वाद
दायर दिनांक – 25/03/2015
निर्णय दिनांक – 07/02/2025

अनवान

1. याकुब मोहम्मद पिता उस्मान छीपा निवासी नया दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

––वादी

बनाम

1. सफु पुत्री अहमद बेवा उस्मान छीपा मुसलमान निवासी छीपों का मोहल्ला देवगढ़
2. मरीयम बानु पुत्री अहमद पत्नि चांद मोहम्मद छीपा मुसलमान निवासी वेदवारी दरवाजा बल्लो की पोल के पास देवगढ़
3. कम्मन बानु पुत्री अहमद पत्नि मोहम्मद शरीफ मुसलमान निवासी धल्लावाला गफुर जी की गली वासी वाला जमालपुर अहमदाबाद गुजरात
4. रहमत बानु पुत्री अहमद छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला गुर्जर बस्ती चितौड़गढ़ राज0
5. मोहम्मद शरीफ पिता कासम छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला देवगढ़
6. महरून पिता कासम छीपा पत्नि समसुदीन पिता अलाबक्ष छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला आयड़ नदी के पास उदयपुर
7. नुरजहां पुत्री कासम छीपा निवासी पत्नि बाबु मोहम्मद पिता अलाबक्ष छीपा निवासी देवली मारवाड़ जिला पाली
8. हसीना पुत्री कासम छीपा पत्नि अयुब मोहम्मद पिता गुलाब नबी छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–
वादी की ओर से – श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से – श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

याकुब मोहम्मद बनाम सफु व अन्य
प्र0सं0—: 19/2015(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—07/02/2025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि ग्राम फुकिया का थड़ पटवार कामली भू—अभिलेख क्षेत्र देवगढ़ में वादी की आराजियात स्थित है। ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 17 खसरा संख्या 156/2 रकबा 08 बिघा 18 विस्वा व खसरा संख्या 415/157 रकबा 01 बिघा 02 विस्वा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है उक्त भूमि में श्री अहमद पिता हुसैन छीपा मुसलमान निवासी देवगढ़ 1/2 के हिस्सेदार कास्तकार थे। अहमद पिता हुसैन छीपा मुसलमान का स्वर्गवास दिनांक 14.06.1996 को ग्राम देवगढ़ तहसील देवगढ़ में हो गया था। अहमद पिता हुसैन छीपा मुसलमान ने अपने जीवन काल में जरीये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13.12.1972 को निष्पादित कराया जिसमें उन्होंने अपनी समस्त चल अचल सम्पति अहमद ने स्वअर्जित की थी वह सम्पति मुझ वादी याकुब मोहम्मद को प्रदान की मैं वादी याकुब मोहम्मद स्व0 अहमद का दोहिता था। अहमद के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं थ एवं अहमद के स्वर्गवास के बाद समस्त सामाजिक उत्तरदायित्व वसीयत अनुसार मुझ वादी द्वारा किये गये एवं समस्त चल अचल सम्पति जो अहमद की थी वह जरिये रजिस्टर्ड वसीयत मुझ वादी को प्राप्त हुई मैं अहमद की मृत्यु के बाद से ही उनकी सम्पत्ति अपने उपयोग उपभोग में ले रहा हूं एवं इसी सन्दर्भ में वादग्रस्त आराजीयात अहमद की मृत्यु के बाद से ही मुझ वादी के कब्जे कास्त में रही एवं आज दिन तक उक्त भूमि मुझ वादी के कब्जे में ही है जहां पर में निरन्तर निर्विघ्न रूप से बिना किसी बाधा के उक्त कृषि आराजीयात पर कास्त कर रहा हू। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने गलत रूप से बिना मुझ वादी की जानकारी से उक्त आराजीयात पटवार हल्का कामली व ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तरण खुला कर दी एवं ग्राम पंचायत विजयपुरा ने भी उक्त नामान्तरण संख्या 758 बिना कब्जे व मौके की तस्दीक किये स्वीकृत कर दिया। वादी हाल ही में करीब एक माह पूर्व खेत पर गया एवं मुझे जमीन की नकलों की आवश्यकता होने पर जब पटवार हल्का कामली में गया एवं अपनी भूमि की नकल लेनी चाही तब नकल लेने पर मुझे

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

मालूम हुआ कि विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 ने मन मकसूद तरीके से उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज रिकॉर्ड करवा दी है तब मैं विधिवत् नकल ले उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं एवं यही वाद का हेतुक है। उक्त ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 17 खसरा संख्या 156 / 2 रकबा 08 बीघा 18 विस्वा व खसरा संख्या 415 / 157 रकबा 01 बिघा 02 विस्वा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि में मैं वादी याकुब मोहम्मद 1 / 2 हिस्से का मालिक हूं एवं मै वादी उक्त आराजीयात का 1 / 2 हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने का घोषणा कराने का अधिकारी हूं जो मुझे अपने नाना अहमद से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। अहमद ने उक्त आराजीयात स्वयं खरीदी थी एवं उनकी वह स्वअर्जित सम्पति थी जिससे उन्हें मुझ वादी को वसीयत करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त थे एवं उसी अधिकारों के तहत अहमद ने मुझ वादी के नाम जरिये वसीयत की। मै वादी वर्तमान खाते में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि मेरे नाम 1 / 2 हिस्से का कराने का अधिकारी हूं एवं मै वादी चाहता हूँ कि मेरे उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर निर्विघ्न रूप से किये जा रहे कास्त कब्जे को विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 स्वयं या अपने नौकर या अपने एजेन्ट या रिश्तेदार से किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करे न ही मेरी भूमि पर प्रवेश करें। वाद में प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 08 खाते के सहखातेदार होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया है वादी प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 08 से कोई रिलीफ नहीं चाहता है मात्र खातेदार होने से उन्हें फोर्मल पक्षकार बनाया जा रहा है। वादी निम्न अंतिम दाद चाहता है कि ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 17 खसरा संख्या 156 / 2 रकबा 08 बीघा 18 विस्वा व खसरा 415 / 157 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा कुल किता 02 रकबा 10 बिघा भूमि में मुझ वादी को जरिये वसीयत 1 / 2 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड राजस्व रिकॉर्ड से दर्ज किये जाने की घोषणा व इसी आशय की डिक्री प्रदान की जावें। ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 17 खसरा संख्या 156 / 2 रकबा 08 बीघा 18 विस्वा व खसरा संख्या 415 / 157 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा कुल किता 02 रकबा 10 बिघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 का दर्ज नाम हटाया जाने की घोषणा व इसी आशय

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

की डिकी प्रदान की जावें। ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की खाता संख्या 17 खसरा संख्या 156/2 रकबा 08 बीघा 18 विस्वा व खसरा संख्या 415/157 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि मेरे उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर निर्विघ्न रूप से किये जा रहे कास्त कब्जे को विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 स्वयं या अपने नौकर या अपने एजेन्ट या रिश्तेदार से किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करे न ही मेरी भूमि पर प्रवेश करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध जारी फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 06, 07, 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 05 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया जिससे जवाब का अवसर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में दिनांक 07/02/2025 को राजीनामा प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय आप में घोषणा निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि ग्राम फुकियाथड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की तत्कालीन आराजी संख्या 156/2 रकबा 8.18 बीघा, खसरा संख्या 415/157 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि में अहमद का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था। जो अहमद कि मृत्यु के बाद भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम विरासत से नामान्तरण खोला। वादी याकुब मोहम्मद के पक्ष में अहमद ने रजिस्टर्ड वसीयत की थी अब उक्त सम्पति बाबत् उक्त वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य पारिवारिक रूप से राजीनामा हो गया है। जिसमें वादग्रस्त आराजीयात पूर्व आराजी के वर्तमान आराजी संख्या 384 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा संख्या 385 रकबा 1.9200 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 2.1600 हैक्टेयर भूमि में वादी याकूब मोहम्मद का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 सकु का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 मरियम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 कमन बानु का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 रहमत

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

याकुब मोहम्मद बनाम सफु व अन्य
प्र0सं0–: 19 / 2015(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–07 / 02 / 2025

बानू का 1 / 5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। एवं वर्तमान दर्ज खातेदार कमन, मरियम, रहमत एवं सफू के 1 / 8 हिस्से के बजाय प्रत्येक के 1 / 10 हिस्सा एवं याकुब का भी 1 / 10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में कुलिया आराजीयात में दर्ज किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का अन्य अहमद कि किसी जायदाद चल–अचल सम्पति में कोई हिस्सा नहीं रहेंगा। जरिये राजीनामा वाद डिक्री फरमाई जावें। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा हो जाने से प्रकरण माफिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावें। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं राजीनामा पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में राजीनामा हो जाने से एवं अहमद की भूमि में याकुब मोहम्मद को 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा अपना हक नहीं चाहने के कारण माफिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुकियाथड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की तत्कालीन आराजी संख्या 156 / 2 रकबा 8.18 बीघा, खसरा संख्या 415 / 157 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि के 1 / 2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम विलोपित कर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

याकुब मोहम्मद बनाम सफु व अन्य
प्र0सं0—: 19 / 2015(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—07 / 02 / 2025

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— अर्चना चौधरी **आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या :—19 / 2015

अनवान

1. याकुब मोहम्मद पिता उस्मान छीपा निवासी नया दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——वादी

बनाम

1 सफु पुत्री अहमद बेवा उस्मान छीपा मुसलमान निवासी छीपों का मोहल्ला देवगढ़
2. मरीयम बानु पुत्री अहमद पत्नि चांद मोहम्मद छीपा मुसलमान निवासी वेदवारी दरवाजा बल्लो की पोल के पास देवगढ़
3. कम्मन बानु पुत्री अहमद पत्नि मोहम्मद शरीफ मुसलमान निवासी धल्लावाला गफुर जी की गली वासी वाला जमालपुर अहमदाबाद गुजरात
4. रहमत बानु पुत्री अहमद छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला गुर्जर बस्ती चितौड़गढ़ राज0
5. मोहम्मद शरीफ पिता कासम छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला देवगढ़
6. महरून पिता कासम छीपा पत्नि समसुदीन पिता अलाबक्ष छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला आयड़ नदी के पास उदयपुर
7. नुरजहां पुत्री कासम छीपा निवासी पत्नि बाबु मोहम्मद पिता अलाबक्ष छीपा निवासी देवली मारवाड़ जिला पाली
8. हसीना पुत्री कासम छीपा पत्नि अयुब मोहम्मद पिता गुलाब नबी छीपा निवासी छीपों का मोहल्ला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से — श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

याकुब मोहम्मद बनाम सफु व अन्य
प्र0सं0–: 19 / 2015(रे0वाद)
निर्णय दिनांकः–07 / 02 / 2025

में इस आशय मे दिनांक 07 / 02 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुकियाथड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की तत्कालीन आराजी संख्या 156 / 2 रकबा 8.18 बीघा, खसरा संख्या 415 / 157 रकबा 1.02 बीघा कुल किता 02 रकबा 10 बीघा भूमि के 1 / 2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का नाम विलोपित कर वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ राजसमन्द (राज.)